तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *राजस्व वाद संख्या : 23/2025* *अनवान दलाराम बनाम गुणेशराम वगैरह* ***अर्न्तगत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955***	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-5-26	पत्रावली आज पेश हुई है। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 6 से 10 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर वादी द्वारा पेश वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर दोनो पक्षकारान् के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या छ से दस ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कथन किया है कि वादी द्वारा विवादित खसरों हेतु झुठे तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया, जबकि विवादित खसरान पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं व प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के पिता के मध्य बंटवाड़ा होकर अलग–अलग खातेदारों के नाम से बटा नम्बर पड़ते हुए नामान्तरकरण जरिये बंटवाड़ा दायर किया गया। जो बकायदा नामान्तरकरण पंजिका प्रविष्टि की कम संख्या 63 में कॉलम 14 से स्पष्ट है। विवादित खसरों पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग काश्तकार के रूप में अपने अपने हिस्से पर काबिज है। जिसकी जानकारी वादी को होने के बावजूद भी उक्त वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र पुनः उसी खसरे को लेकर मेलाफाईड इन्टेंशन से पेश किया गया। इस प्रकार वादी द्वारा वाद में अपने आपको सह खातेदार बताये जाने के तथ्य झूठे होने एवं विवादित खसरों का पूर्व में बंटवाड़ा होने के कारण उक्त प्रकरण किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद विशेष हर्जे के खारिज किया जाने का निवेदन किया है। इस संबंध में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या छ से दस के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद विधि अनुरूप होने से वाद बाबत् अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जावे तथा प्रतिवादी का प्रार्थना षत्र खारिज फरमाया जावें। जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 से 10 ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त खसरान का पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं व प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के पिता के मध्य बंटवाड़ा हो चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग काश्तकार के रूप में अपने अपने हिस्से पर काबिज है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा वाद पेश कर ग्राम सीणली तहसील लूणी के खसरा नंबर 36, 211, 248, 249, 18, 230 व 247 में अपने हक हिस्से की खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्व राणाराम के तीन पुत्रो प्रभुराम (फौत), खीयाराम व उम्मेदराम(फौत) हुए जिनके वारिसान् प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं व प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के पिता के मध्य पूर्व में ही बंटवाड़ा होने अलग–अलग खातेदारों के नाम से बटा नम्बर दर्ज है। वादी द्वारा वाद के संलग्न पेश जमाबंदिया दिनांक 21.02.2025 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि स्व. राणाराम के तीन पुत्रो प्रभुराम (फौत), उम्मेदराम(फौत) के वारिसान व खीयाराम वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रैकर्ड में अलग–अलग खसरान् में नाम दर्ज है तथा उसी अनुसार कब्जा–काश्त होना प्रतीत होते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार कृषि भूमि के सह–खातेदारों को अपनी पैतृक या संयुक्त भूमि में से अपना हिस्सा अलग कर विभाजन करने का कानूनी अधिकार देती है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत रूप से स्पष्ट है कि वादग्रस्त खसरान् का पूर्व में विभाजन हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रतिवादी संख्या 6 से 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	